प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
शाहजहाँपुर।

सेवा में,

प्रबन्धक,
गुरुनानक कान्वेन्ट पू०मा०वि०
वि०क्षे०, बण्डा, शाहजहाँपुर ।

पत्रांक : क०लि०—1 / मान्यता / 13820-34 / 2003—04 दिनांक : 30-1-04

विषय : **जूनियर हाईस्कूल स्तर की अस्थायी मान्यता (6—8) प्रदान करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 17-12-2003 में लिये गये निर्णय / संस्तुति के आधार पर क0लि0—1 / मान्यता / 14 / 2003—04 दिनांक 17-12-03 के संदर्भ में शासनादेश सं0 646 / 15—6—97—18(7) / 89 दिनांक 13.08.97 में निहित निर्देशानुसार आपके विद्यालय को जूनियर हाईस्कूल (उच्च प्राथमिक विद्यालय) की अस्थायी मान्यता निम्नांकित प्रतिबंधो के साथ प्रदान की जाती है। विद्यालय की अस्थायी मान्यता तब तक चलती रहेगी जब तक विद्यालय स्थायी मान्यता प्राप्त नहीं कर लेता है अर्थात अस्थायी मान्यता, स्थायी मान्यता में परिवर्तित नहीं हो जाती है। आपको अपने विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को मिनिमम वेजेस एक्ट के अन्तर्गत उनके वेतन आदि का भुगतान करना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की स्थिति में मान्यता समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है। उक्त के साथ निम्नांकित शर्तो का भी अनुपालन करना अतिआवश्यक है।

1. विद्यालय के छात्रों के चरित्र निर्माण से सम्बन्धित राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान व सर्वधर्म सद्भाव तथा मानवीय मूल्यों की सम्प्रति के लिये जारी विभिन्न शासनादेशों का अनुपालन अनिवार्य होगा।
2. प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय के संचालनार्थ उसके प्रबंधाधिकरण द्वारा पर्याप्त संशोधन उपलब्ध होने चाहिए। जिन विषयों के विद्यालयों के लिए मान्यता प्रदान की गई है उसके लिए परिषद द्वारा विर्निदिष्ट मानकों के अनुसार पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी।
3. विद्यालयों के लिए भवन, शौचालय, क्रीडास्थल सामग्री एवं साज सज्जा की व्यवस्था की जाये। (स्वच्छ एवं हवादार भवन के लिए स्थान की व्यवस्था की जाये)।
4. परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का संचालन किया जाये। निर्धारित पाठ्यक्रम से भिन्न न तो कोई शिक्षा दी जायेगी और न ही उसका उपयोग किया जायेगा। राष्ट्रीय गीतों एवं राष्ट्रीय गायन की प्रतिदिन व्यवस्था की जाय।
5. विद्यालय प्रबंधाधिकरण द्वारा विभाग / शासन द्वारा बेसिक शिक्षा अधिनियम तथा नियमावली सम्बन्धी उपबन्धों आदि का पालन करना आवश्यक होगा।
6. विद्यालय की प्रबंध समिति सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत हो तथा अतिथि नवीनीकृत हो तथा उसका संविधान प्रजातान्त्रितक आधार पर बना हो।
7. विद्यालय का निरीक्षण शिक्षा विभाग के अधिकारी द्वारा कभी भी किया जा सकेगा तथा समय—समय पर दिये निर्देशों के पालन की बाध्यता होगी।

क्रमशः.....2

PRINCIPAL
Guru Nanak Convent School
Banda, Shahjahanpur

MANAGER
GURU NANAK CONVENT SCHOOL
BANDA, SHAHJAHANPUR

8. विद्यालय के लेखों का आडिट नियमित रूप से चार्टेड एकाउन्टेट से कराने की जिम्मेदारी प्रबंधाधिकरण की होगी। भवन शुल्क, केपिटेशन फीस छात्रों से लेना वर्जित होगा।

9. प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय अपने शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वही वेतन देय होगा जो परिषदीय शिक्षक/कर्मचारियों को देय है।

10. विद्यालय में शिक्षा का माध्यम देवनागरी लिपि में होगा। हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जायेगी। अस्वीकृत पाठ्य पुस्तकों का प्रचलन/पठ्न पाठ्न नहीं कराया जायेगा।

11. विद्यालय के नाम सुरक्षित कोष में रू0 2000/— तथा प्राभूत कोष में रू0 10000/— जमा होगें तथा धनराशि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पक्ष में बंधक रहेगी।

12. जू0हा0स्कूल में लागू नवीन न्यूनतम मानकानुसार विद्यालय में एक प्रधानाचार्य, चार सहायक अध्यापक, एक लिपिक, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद देय होगे जिसमें नियमानुसार आरक्षण व्यवस्था लागू होगी। जिसका अक्षरशः पालन किया जायेगा। कक्षा 6 से 8 तक का अनुभाग मान्य होगा।

13. मान्यता प्राप्त होने के पश्चात आगामी शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व विद्यालय में प्रशिक्षित शैक्षिक स्टाफ की नियुक्ति का अनुमोदन प्राप्त कर ले तथा किसी भी शिक्षक/कर्मचारी की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना न तो नियुक्ति ही की जायेगी और न ही हटाया जायेगा।

14. शासकीय/विभागीय निर्देशों/आदेशों का पालन न करने की स्थिति में मान्यता प्रत्याहरण हेतु कार्यवाही की जायेगी। मान्यता प्रत्याहरण का अधिकार उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद को होगा।

भवदीय

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
शाहजहाँपुर।

पृष्ठांकन सं0 : क0लि0—1/मान्यता/ /2003—04 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि : निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0, लखनऊ।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), तृतीय मण्डल, बरेली।
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, शाहजहाँपुर।
5. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी, शाहजहाँपुर।
6. सम्बन्धित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
शाहजहाँपुर।

PRINCIPAL
Guru Nanak Convent School
Banda, Shahjahanpur

MANAGER
GURU NANAK CONVENT SCHOOL
BANDA, SHAHJAHANPUR